


फर्द अहकाम

सुरेश-जी वी

बनाम श्रीकान्हा

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13.10.25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अतः पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/10/25 को पेश होयूँ।</p>
	27-10-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिकारता अनुपस्थित। प्रार्थी को आज न्यायालय में प्रथम प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवाज लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरोक्त भी प्रार्थी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश - व निगम - 3 जा. की के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गयी। पत्रावली जिसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल यन्त्र है।</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              जोबनेर नयाप         </p>